वीडियो गेम एवं मनी गेम

इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics, Information and Technology- MeitY) को हाल ही में लिखे एक पत्र में **वीडियो गेमिंग क्षेत्र के प्रतिनिधियों** ने कहा है कि **वीडियो गेम को मनी गेम (जिसमें पैसे दाँव पर लगाए जाते हैं) से अलग गेम घोषित किया जाना** चाहिये।

- इससे पहले MeitY ने **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** में संशोधन कर **ऑनलाइन गेमिंग हेतु नियमों का मसौदा** जारी किया है।
- इस पत्र के माध्यम से अनुरोध और सिफारिश की गई है कि MeitY को '**ऑनलाइन गेमिंग के लिये नोडल एजेंसी**' के रूप में इन दो उद्योगों के बीच अंतर को पहचानना चाहिये।

वीडियो गेम संबंधी चिंताएँ:

- **समान विनियामक कार्य क्षेत्र:**
  - **IT नियम, 2021** के संशोधन के हिस्से के रूप में **एक स्व-नियामक निकाय** का प्रस्ताव है जो **भारत में अनुमत ऑनलाइन गेम को प्रमाणित करेगा।**
  - वर्तमान मसौदा अधिसूचना में **'वीडियो गेम'** और **'दाँव के लिये खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम'** को **एक ही नियामक दायरे में** रखा गया है।

        - वशि्व में **ऐसा कोई देश नहीं** है जो खेलों की **इन दो श्रेणियों को समान रूप से मान्यता देता है और वनियिमति करता है।**
    - लेकनि गेमगि कंपनयिाँ **'वीडयिो गेम'** एवं **'रयिल मनी गेम्स' (RMG)** के बीच अंतर की कमी को लेकर चतिति हैं, जो अक्सर जुए के समान राज्य के नयिमों तथा कानूनों के कारण ग्रे ज़ोन में होते हैं।
- **वशि्द्ध रूप से मनोरंजन:**
    - वीडयिो गेम कंपनयिों का कहना है कि उनके **'गेम में पैसा लगाना शामलि नहीं है तथा वशि्द्ध रूप से मनोरंजन के लयि खेला जाता है'।**
    - इनका कहना है कि **रयिल मनी गेम्स और फैंटेसी स्पोर्ट्स को सामूहकि रूप से** अन्य देशों में **'आईगेमगि (iGaming) इंडस्ट्री'** के रूप में जाना जाता है।

उनकी मांगें क्या हैं?

- वैश्वकि दर्शकों के लयि भारत में वशि्व स्तरीय वीडयिो गेम बनाने हेतु एक उपयुक्त ढाँचा होना आवश्यक है जो उद्योगों की बारीकयिों का सम्मान करता हो और वशि्व की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली से युक्त हो।
    - इसे **पूंजी आकर्षति करने, बाज़ार पहुँच बढ़ाने, वदिेशी प्रौद्योगकिी सहयोग बढ़ाने,** प्रतभिा पूल बनाने और भारत को वैश्वकि वजिेता के रूप में वकिसति करने हेतु एक लंबा मार्ग तय करना होगा।
- वीडयिो गेम को यूरोपीय संघ **के PEGI (Pan-European Game Information)** और उत्तरी अमेरकिा के ESRB (Entertainment Software Rating Board) जैसे वैश्वकि मानकों के अनुरूप वीडयिो गेम उद्योग-वशिष्टि स्व-नयिामक नकिाय (Industry-Specific Self-Regulatory Body-SRB) की स्थापना करके **भारत-वशिष्टि आयु एवं सामग्री रेटगि तंत्र** के माध्यम से वनियिमति कयिा जाना चाहयि।
- **बच्चों में वीडयिो गेम की लत, इन-गेम खरीदारी, आयु-अनुचति सामग्री और ऑनलाइन नुकसान जैसे मुद्दों को संबोधति करने के लयि मज़बूत ढाँचा बनाया जाए**, जसिे संयुक्त राज्य अमेरकिा में बच्चों के ऑनलाइन गोपनीयता संरक्षण नयिम (Children's Online Privacy Protection Rule- COPPA) और यूरोपीय संघ में सामान्य डेटा संरक्षण वनियिमन **(General Data Protection Regulation- GDPR)** जैसे वैश्वकि मानकों के अनुरूप वीडयिो गेम उद्योग-वशिष्टि स्व-नयिामक नकिाय द्वारा वनियिमति कयिा जाए।

स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/segregate-video-games-from-money-games